न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 303 / 2018
RCMS No.- 2018/00469

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
श्री दिलीपसिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		1 चेनाराम पुत्र मन्शाराम जाति घांची (मालिक), मैसर्स– भगवती जनरल स्टोर, 110–बी मस्तान बाबा कॉलोनी, पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

–: निर्णय :–

दिनांक 23/12/19

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है। प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। दिनांक 26.02.2018 को प्रार्थी ने दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स– भगवती जनरल स्टोर,110–बी मस्तान बाबा कॉलोनी, पाली से अप्रार्थी की उपस्थिति में वहां आम जन को बिक्री हेतु रखे हुयी खाद्य सामग्री मिर्च पाउडर (Loose) की लगभग 20–20 किलोग्राम के कट्टो में से दो किलोग्राम मिर्च पाउडर(Loose) को वास्ते जांच हेतु क्रय कर, उक्त क्रयसुदा सामग्री को प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करते हुए पृथक पृथक भागों में विभक्त कर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–761 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना मिर्च पाउडर (Loose) को Sub-standard and it contravenes ReGulations No. 2.3.14 (15) of Food safety and Standard (Prohibition and Restrictions on sales) Regulations, 2011 because it sold in loose condition का माना गया है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Sub-standard मिर्च पाउडर (Loose) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहा। इस कारण अप्रार्थी के विरूद्ध इस प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 26.02.2018 को अप्रार्थी की फर्म से मिर्च पाउडर (Loose) क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–761 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./225/एक्ट/2018/245 दिनांक 27.03.2018 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–761 को Sub-standard and it contravenes ReGulations No. 2.3.14 (15) of Food safety and Standard (Prohibition and Restrictions on sales) Regulations, 2011 because it sold in loose condition माना है, जिसके अन्तर्गत यह प्रावधित किया गया है कि कोई व्यक्ति चूर्णित मसाले का विक्रय पैक दशा में ही करेगा, अन्यथा नहीं। चूंकि प्रकरण हाजा में अप्रार्थी द्वारा मिर्च पाउडर का विक्रय बन्धनमुक्त अवस्था (Loose condition) में किया जा रहा था, जो खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय, प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम 2011 के अध्याय 2 के भाग 2.3.14 (15) का उल्लंघन है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन की श्रेणी में परिलक्षित होकर इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 51 एवं 58 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Sub-standard and it contravenes ReGulations No. 2.3.14 (15) of Food safety and Standard (Prohibition and Restrictions on sales) Regulations, 2011 because it sold in loose condition खाद्य सामग्री मिर्च पाउडर (Loose) का विर्निमाण/विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 एवं 58 के तहत अप्रार्थी पर 1,00,000/– अक्षरे एक लाख रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही प्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपी अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 23/12/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली